न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/933/2005/चित्तौड़गढ़

1. अशोक कुमार पिता भवानी लाल सेवक
2. रमेशचन्द्र पिता भवानी लाल सेवक
3. भरत पिता भवानी लाल सेवक
4. दीनबन्धु पिता भवानी लाल सेवक
5. दिलीप कुमार पिता भवानी लाल सेवक
6. धर्मेन्दु कुमार पिता भवानी लाल सेवक
7. सोहनी बाई बेवा भवानी लाल सेवक
8. सुरेश चन्द्र पिता भवानी लाल सेवक

– समस्त निवासी बेगूं, जिला चितौड़गढ़

–अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता कन्हैया लाल
2. मदन लाल पिता कन्हैया लाल

– दोनों जाति ब्राह्मण, कांट्या, निवासी बेगूं, जिला चितौड़गढ़

3. राजस्थान सरकार

– प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–

श्री मुकेश दाधीच अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः–13–02–2023

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–02–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 व 188 सपठित आदेश 7 नियम 1 व 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसमें उक्त आराजियात जमाबंदी संवत् 2051 से 54 खाता संख्या 653 में आराजी खसरा संख्या 893 रकबा 0.178 अर्थात 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि के बाबत प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जावे तथा दखलंदाजी नहीं किए जाने का अनुतोष चाहा गया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार कर वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 विवाद्यक कायम किए। कालान्तर में कायम किए गए समस्त विवाद्यकों को पृथक-पृथक रूप से विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 10-9-2003 पारित करते हुए वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र को साबित नहीं करते हुए कथित करते हुए खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय चित्तौडगढ के समक्ष अपील पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त विचाराधीन अपील में उभयपक्ष की बहस सुनकर कायम किए गए समस्त विवाद्यकों को अलग-अलग विरचित करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-9-2004 द्वारा आलोच्य अपील को खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा है। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने अपील के संबंध में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मामले में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को त्रुटिपूर्ण होना कहा है। उनका कहना है कि वादीगण ने अपने पक्ष में जमाबंदी संवत 2051 से 2054

में यह साबित किया कि वादी उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। उनका यह कहना है कि वादी ने अपने वाद पत्र एवं मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी द्वारा कब्जा करना दिनांक 1-7-1997 अंकित किया है इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष में एक अन-रजिस्टर्ड अन स्टाम्प फर्जी लिखत होना बताया है। उनका आगे कहना है कि प्रतिवादी के खिलाफ पारित किया है जिसमें उन्होंने स्वयं माना कि उक्त कथित इकरारनामा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-17 के अनुसार 100/- रूपये से अधिक की मूल्य की सम्पत्ति का हस्तान्तरण पंजीकृत दस्तावेज पर होना आवश्यक है, उन्होंने यह भी अंकित किया कि प्रतिवादी ने अपने 25-30 वर्ष का कब्जा काश्त बताया है उसके लिये गिरदावरी आदि पेश नहीं की है जबकि गिरदावरी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि आराजी पर प्रतिवादी के कब्जे से पूर्व वादी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार है। उनका यह भी कहना है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथाकथित इकरारनामा का सादे कागज पर अनरजिस्टर्ड था को आधार मानकर वादी के वाद को खारिज करने की त्रुटि की है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर उप जिला कलेक्टर बेगूं द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-9-2003 एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27-9-2004 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वादीगण के पिता भवानीलाल पाराशर ने दिनांक 5-8-1974 को यह भूखण्ड बाड़े के रूप में विक्रय कर बाड़े व रास्ते की भूमि प्रतिवादीगण के पिता कन्हैयालाल को कब्जा दे दिया था। उनका यह भी कहना है कि उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है जिसमें मवेशी बांधते है, लकड़ी व घास रखते है तथा बाड़े के रूप में उपयोग कर रहे है। उनका कहना है कि वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अन्त में

उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस एवं उपलब्ध पत्रावली व मामले में पारित किए गए निर्णयों का अध्ययन का मूल्यांकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है अपीलार्थीगण/वादीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 व 188 सपठित आदेश 7 नियम 1 व 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसमें उक्त आराजियात जमाबंदी संवत् 2051 से 54 खाता संख्या 653 में आराजी खसरा संख्या 893 रकबा 0.178 अर्थात 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि के बाबत प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जावे तथा दखलंदाजी नहीं किए जाने का अनुतोष चाहा गया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार कर वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 विवाद्यक कायम किए। कालान्तर में कायम किए गए समस्त विवाद्यकों को पृथक-पृथक रूप से विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 10-9-2003 पारित करते हुए वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र को साबित नहीं करना कथित करते हुए खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय चित्तौडगढ के समक्ष अपील पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त विचाराधीन अपील में उभयपक्ष की बहस सुनकर कायम किए गए समस्त विवाद्यकों को अलग-अलग विरचित करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-9-2004 द्वारा आलोच्य अपील को खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा है।

8. इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध समग्र रेकार्ड का विधि के परिप्रेक्ष्य में समग्र परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि जमाबंदी सम्वत 2051–2054 के अनुसार विवादित आराजी खसरा संख्या 893 वादीगण के खातेदारी में अंकित है, इस बाबत वादीगण का आक्षेप रहा है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने कथित किया कि यह भूखण्ड उनके पिता ने वादीगण के पिता से बाडे के रूप में क्रय किया है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श ए–1 से होती है। रेकार्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि विवादित भूखण्ड दिनांक 05–8–1974 को अपंजीकृत तथा अमुद्रांकित विक्रय विलेख प्रदर्श–1 से क्रय करना बताया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श–2 से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादग्रस्त बाडा कन्हैयालाल कांटिया को इससे पूर्व ही विक्रय किया जा चुका था। सारांशतः प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त बाडे पर 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होने से उनका खातेदारी टाईटल बन जाता है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध दस्तावेजात से प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा विक्रय की तिथि से ही आहूत होता है। वादीगण के द्वारा अन्य कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किए गए है जबकि प्रतिवादी ने डीडब्ल्यू–2 से 4 तक जो गवाह पेश किए हैं वे सभी बाडे के पडौसी होकर सभी ने उक्त बाडे में प्रतिवादीगण के द्वारा घास डालना, मवेश बांधना तथा पिछले 25–30 वर्षो से कब्जा प्रतिवादीगण का बताते है। प्रतिवादीगण का आराजी पर कब्जा वर्ष 1974 से चला आ रहा है तथा दावा दायरी की तिथि को भी प्रतिवादीगण का कब्जा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण अतिक्रमी नहीं है क्योंकि उनके द्वारा आराजी क्रय कर कब्जा बनाये रखा है। उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए गए है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना प्रकट होती है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–9–2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य